

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या- 15/2021/1503/77-1-2021
लखनऊ : दिनांक: 06 अक्टूबर, 2021

कार्यालय-जाप

प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तीकरण हेतु टेबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना को लागू किए जाने का निर्णय शासनादेश संख्या- 1502/77-1-2021 दिनांक 06.10.2021 द्वारा लिया गया है।

- 2- प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तीकरण हेतु टेबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना में उच्च/उच्चतर शिक्षण संस्थाओं- स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामैडिकल तथा नर्सिंग आदि विभिन्न शिक्षण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को वितरित किए जाने वाले टैबलेट एवं स्मार्टफोन की आपूर्ति, वितरण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित करने तथा इस हेतु पोर्टल के निर्माण एवं उसके संचालन के लिए एतदद्वारा यूपीडेस्को, लखनऊ को नोडल एजेन्सी नामित किया जाता है।
- 3- योजनान्तर्गत लाभार्थी चयन तथा टैबलेट/स्मार्ट फोन की आपूर्ति, वितरण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए एक वेब पोर्टल यूपी डेस्को के माध्यम से बनाया जाएगा जिस पर निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी:-

- (1) विभिन्न विभागों के अन्तर्गत लक्षित तथा उसमें संस्थावार, कक्षावार, विषयवार अध्ययनरत छात्रों की संख्या।
- (2) अध्ययनरत छात्रों के सम्बन्ध में नियत प्रपत्र पर सम्पूर्ण विवरण।
- (3) संस्था को आवंटित टैबलेट/स्मार्ट फोन के आपूर्तिकर्ता द्वारा किये गये डिस्पैच तथा संस्था द्वारा प्राप्ति सम्बन्धी पूर्ण जानकारी।
- (4) अध्ययनरत छात्रों को टैबलेट/स्मार्ट फोन के वितरण तथा उसकी प्राप्ति एवं सत्यापन की सम्पूर्ण जानकारी।
- (5) पोर्टल को विभिन्न स्तरीय प्राधिकृत अधिकारियों/छात्र-छात्राओं द्वारा एक्सेस करने के लिए यूजर आईडी/पासवर्ड का प्राविधान।
- (6) जनपद स्तर पर आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा स्थापित सेवा केन्द्रों का विवरण।
- (7) वारंटी अवधि के दौरान टैबलेट/स्मार्ट फोन के संचालन एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के प्रबन्धन एवं निस्तारण की व्यवस्था।
- (8) संस्था स्तर से वितरण हेतु नामित नोडल अधिकारी/समिति का विवरण।
- (9) अन्य सुसंगत विवरण जिसे योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु आवश्यक समझा जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 4- प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत नामित कार्यदायी संस्था (यूपीडेस्को) के दायित्व निम्नवत है:-
- (1) योजना के क्रियान्वयन हेतु वेब पोर्टल एवं मोबाईल एप्स का आवश्यकतानुसार निर्माण, अनुरक्षण तथा संचालन सुनिश्चित कराना।
 - (2) तकनीकी विशेषज्ञ समिति तथा शासन स्तरीय समितियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
 - (3) जेम पोर्टल के माध्यम से टेण्डर आमंत्रित करना।
 - (4) प्री बिड मीटिंग आयोजित कराना।
 - (5) तकनीकी विशेषज्ञ समितियों के अनुसार फाइनल बिड डाक्यूमेन्ट तैयार कराकर शासन को प्रेषित कराना।
 - (6) शासन से अनुमोदन प्राप्त होने पर चयनित आपूर्तिकर्ता को एल.ओ.आई. निर्गत करना।
 - (7) चयनित आपूर्तिकर्ता को साथ अनुबन्ध करना।
 - (8) अनुबन्ध का क्रियान्वयन कराना।
 - (9) यह सुनिश्चित करना कि आपूर्तिकर्ता मांग के अनुसार स्मार्टफोन्स/टैबलेट्स समय लक्षित संस्थाओं को पहुँचाएं।
 - (10) प्री-डिस्पैच इन्स्पेक्शन तथा पोस्ट डिस्पैच इन्स्पेक्शन सुनिश्चित कराना।
 - (11) आपूर्तिकर्ता के माध्यम से जनपदवार सर्विस सेन्टर स्थापित कराया जाना।
 - (12) शासन के अनुमोदन के उपरान्त प्री-लोडेड कन्टेन्ट्स आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराया जाना एवं अन्य कार्य जो शासन स्तर से समय समय पर योजना के क्रियान्वयन के लिए दिये जाएं उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना।
 - (13) समस्त औचारिकताएं पूर्ण कराकर आपूर्तिकर्ता संस्था को भुगतान सुनिश्चित करना।
 - (14) समस्त अभिलेखों का रखरखाव तथा लेखा परीक्षा सुनिश्चित कराना।
- 5- उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत नामित कार्यदायी संस्था (यूपीडेस्को) द्वारा स्मार्ट फोन/टैबलेट के क्रय के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी:-

1. पोर्टल बनाने एवं उसके संचालन आदि के लिए नोडल एजेन्सी को ₹0-5.00 करोड़ की धनराशि प्रशासकीय व्यय के मद में अनुमन्य होगी तथा विभिन्न विभागों एवं जनपद के स्तर पर योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा वितरण आदि के लिए धनराशि ₹0-5.00 करोड़ प्राविधानित की जाएगी। इस सीमा के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं/जनपदों हेतु अनुमन्य सीमाओं का निर्धारण अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
2. टैबलेट/स्मार्टफोन का क्रय जैम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इस हेतु GeM-PMU से प्रशासकीय विभाग के सहायतार्थ राज्य स्थित एक dedicated टीम का गठन किया जाएगा। स्मार्ट फोन/टैबलेट की विशिष्टियों का निर्धारण करते समय इस सम्बन्ध में इलेक्ट्रानिक्स

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार (Meity) द्वारा समय-समय पर तदविषयक निर्गत विशिष्टियों का संज्ञान लिया जायेगा।

3. टैबलेट/स्मार्ट फोन का क्रय चूंकि अधिक मात्रा में किया जाना है, अतः बिड के उपरान्त प्राप्त न्यूनतम क्रय मूल्य पर आवश्यकतानुसार एक से अधिक वेन्डरों को आपूर्ति हेतु नियमानुसार आबद्ध किया जाएगा जिससे आपूर्ति एवं वितरण समय से हो सके।
- 6- कृपया शासन द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णयों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक : तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, ३०प्र० शासन।
- (2) अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, ३०प्र० शासन।
- (3) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, ३०प्र० शासन।
- (4) अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, ३०प्र० शासन।
- (5) अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
- (6) अपर मुख्य सचिव, व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास मिशन, ३०प्र० शासन।
- (7) अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, ३०प्र० शासन।
- (8) अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ३०प्र० शासन।
- (9) अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इल० विभाग, ३०प्र० शासन।
- (10) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, ३०प्र० शासन।
- (11) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन।
- (12) निजी सचिव, मा० मंत्री, औद्योगिक विकास विभाग।
- (13) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (14) प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, ३०प्र०, लखनऊ।
- (15) समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (16) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (17) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)

अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।